05 नई पेंशन प्रणाली
New Pension System

भारत सरकार ने सेवानिवृत्ति के पश्चात आय सुनिश्चित करने हेतु नई पेंशन प्रणाली के रूप में महत्वपूर्ण प्रणाली विकसित की है। यह 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई है तथा वर्ष 2007–08 से यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए परिचालन में आई। इसके लिए पेंशन फण्ड नियामक व विकास प्राधिकरण (पी.आर.डी.ए.) की स्थापना की गई है। शुरूवात में स्टेट बैंक आफ इंडिया, यू.टी.आई. व भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन फण्ड मैनेजर नियुक्त किया गया है। इस योजना की कुछ खास बिन्दु निम्नानुसार है :–

- ☞ यह योजना भारत में सबसे कम लागत में परिचालित होने वाली पेंशन योजना है।
- ☞ यह योजना ऐसे सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जिनकी नियुक्ति 01.04.2004 को या उसके बाद हुई है। तत्पश्चात कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए भी इस पेंशन प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है, जिनकी नियुक्ति 01.04.2004 को या उसके बाद हुई है।
- ☞ इस नई पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारी अपने पेंशन फण्ड मैनेजर का चयन कर सकता है।
- ☞ इस नई पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारी कर्मचारी को मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना आवश्यक है तथा इतनी ही राशि का अंशदान नियोक्ता (सरकार) के द्वारा प्रतिमाह किया जाता है। बदले में नियोक्ता को सेवानिवृत्ति के पश्चात अलग से पेंशन देने के दायित्व से मुक्ति मिलती है।
- ☞ कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही पूरी राशि निकालने का विकल्प होगा। परन्तु इसमें से कम से कम 40 प्रतिशत राशि से पेंशन देने वाली अधिकृत कंपनियों से एन्यूटी खरीदना आवश्यक है ताकि उसे एवं उसके परिवार, जिसमें पत्नि, पालकों को तथा बच्चे को वयस्क होने तक, पेंशन मिलने की व्यवस्था हो सके।
- ☞ यदि कर्मचारी की मृत्यू असमय हो जाती है तो पेंशन फण्ड की पूरी राशि नामिनी को देय होगी।
- ☞ 1 मई 2009 से नई पेंशन प्रणाली भारत के आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 से 55 वर्श के बीच में हो तथा जिनके पास स्वयं के पहचान एवं पते के सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज हो, इस प्रणाली में निवेश कर सकतें है।
- ☞ आम नागरिक को पूरी राशि निकालने हेतु 2 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला–सेवानिवृत्ति के समय 60 वर्श की आयु पूर्ण होने पर। परन्तु इसमें से कम से कम 40 प्रतिशत राशि से पेंशन देने वाली अधिकृत कंपनियों से एन्यूटी खरीदना आवश्यक है ताकि उसे एवं उसके परिवार को जिसमें पालक तथा बच्चे के वयस्क होने तक पेंशन मिलने का प्रावधान रहता है। दूसरा – योजना प्रारम्भ होने के एक वर्श के बाद कभी भी। परन्तु इसमें से कम से कम 80 प्रतिशत राशि से पेंशन देने वाली अधिकृत कंपनियों से एन्यूटी खरीदना आवश्यक है ताकि उसे एवं उसके परिवार को पेंशन मिलने का प्रावधान रहता है।
- ☞ केन्द्र सरकार ने आम नागरिकों को नई पेंशन प्रणाली में निवेश हेतु आकर्शित करने के लिए ''स्वावलंबन'' नामक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रतिवर्ष सरकार 1,000 रू. प्रोत्साहन राशि के रूप में ऐसे खाता धारकों के खाते में 3 वर्षों तक जमा करती है, जो कम से कम 1,000 रू. प्रतिवर्श तथा अधिकतम 12,000 रू. प्रतिवर्ष स्वयं का अंशदान नई पेंशन प्रणाली में करते हैं।
- ☞ पेंशन फण्ड के परिचालन लागत को कम से कम करने के लिए कमजोर वर्गों के नागरिकों हेतु नई पेंशन प्रणाली लाईट– NPS-Lite चालू की गई है, जिसके तहत कम से कम 100 रू. निवेश कर पेंशन खाता खोला जाता है तथा कोई नियामित निवेश की बाध्यता भी नही है।
- ☞ दिनांक 29 जनवरी 2014 को जारी किए गए परिपत्र के अनुसार अब निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में 40–55 प्र.श. ,ऋण पत्रों में 0–40 प्र.श. मनी मार्केट इंस्टुमेंन्ट्स 0–5 प्र.श. शेयरों में 0–15 प्र.श.। केवल ऐसे शेयरों में ही निवेश किया जावेगा जिनके डेरिवेटिव विकल्प NSE / BSE मे उपलब्ध हो ताकि जोखिम कम करने हेतु हेज किया जा सके।

  अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट www.pfrda.org.in का अवलोकन करें।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:38 PM